

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द  
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्वूअल प्रकरण संख्या	06/2017
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2017/00006
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	14.06.2017
निर्णय दिनांक	01.02.2021

उनवान

(1) श्री पन्नालाल पि.काना गूर्जर नि.जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी /प्रार्थीगण

बनाम

(1) श्री ठाकुरजी पौ भराई स्थान माधोपुरा वगैरह नि.जोधड़ास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री राधेश्याम पारीक
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावे। कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
जोधड़ास	2070-73	94	1471	0.24
			1472	0.34
			1473	0.02
			1474	0.63
		कुल योग	4	1.23

(2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	भौगोलिक स्थिति
जोधड़ास	1442	0.11	आराजी की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे
	1470	0.24	आराजी की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे

(3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुतम व निकटतम रास्ता अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक की खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के

नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2020 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

(6) तहसीलदार आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

(7) बहस वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण पर मनन किया। रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एवं प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी /प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थी /प्रार्थीगण अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि -

### क्रियात्मक - आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर उपपंजीयक आसीन्द द्वारा निर्धारित की गयी भूमि प्रतिकर की राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराने बाबत् प्रार्थी / प्रार्थीगण के सहमत होने से भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात निम्नांकित कृषि भूमि को अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के खाते की भूमि में से कम की जाकर बिलानाम सरकार गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी से प्राप्त अमानत राशि का भुगतान अप्रार्थी /अप्रार्थीगणों को उनके खाते में से कम हुये रकबे के आधार पर उनके हक हिस्से के अनुपात में किये जाने के आदेश किये जाते है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की D.L.C. दर प्रति हेक्टर	भूमि की कुल कीमत	भूमि की दुगुनी कीमत जो राजकोष के अमानत मद में जमा करायी जानी है
1	जोधड़ास	1442	0.11	0.0160	आराजी की पश्चिमी मेड़ के सहारे	237816	3805	
		1470	0.24	0.0032	-----,,-----	237816	0761	
		योग		0.0192			4566	9132

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(न्यायाधीश)  
सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा (सी.एस. शर्मा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / 10 /

दिनांक 10.3.2021

प्रतिलिपी:- तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ।